न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
गृह नियंत्रण अपील वाद संख्या–39/2011
निर्मला देवी बनाम गौशाला सोसाईटी द्वारा राम निरंजन केडियो

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित

10/07/15

आदेश

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदिका निर्मला देवी, पत्नी–अरूण कुमार झा, मो0–मिर्जापुर, पो–लालबाग, थाना–नगर, जिला–दरभंगा की ओर सें वकालतनामा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी –सह– गृह नियंत्रक सदर, दरभंगा द्वारा गृह नियंत्रण वाद सं0–17/09–10 में दिनांक–15.03.11 को पारित आदेश के विरूद्व वाद आवेदन दाखिल किया गया। आवेदिका द्वारा दाखिल वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय के अभिलेख की मॉग करते हुए प्रतिपक्षी के सदस्यों को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। प्रतिपक्षी के सदस्य के द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रतिउत्तर दिया गया है।

वाद आवदेन के समर्थन में वादी का कहना है कि आवेदिका के पति दरभंगा गोशाला सोसाईटी, दरभंगा में प्रबंधक के रूप में कार्य करते थे। गोशाला सोसाईटी के द्वारा अपने मैनेजर को मकान मो0 325/रूपया मासिक किराया पर बिना बिजली, पानी, शौचालय के ही उपलब्ध कराया गया था। गोशाला सोसाईटी का प्रश्नगत मकान मरम्मति के अभाव में खण्डहर के रूप में हो गया है, आवेदिका अपनी गरीबी के कारण उक्त मकान में रहती आ रही हैं। आवेदिका के पति की मृत्यु वर्ष–2002 में हो गयी एवं तब से आवेदिका ही मो0–325/रूपया मासिक किराया गोशाला सोसाईटी को अदा करती आ रही है। गोशाला सोसाईटी द्वारा प्रश्नगत मकान का किराया मो0–325/रूपये से बढ़ाकर 650/रूपये कर दिया गया जो बिहार गृह नियंत्रण अधिनियम की धारा–4 के प्रावधान के विरूद्व है। आवेदिका टीन छतवाली और कमरा एवं बरामदा सहित कुछ खुले भाग को सहन के रूप मे उपयोग करती हैं। आवेदिका द्वारा गोशाला सोसाईटी प्रबंधक को प्रश्नगत मकान में बिजली, पानी एवं शौचालय बनबाने का अनुरोध कर चुकी हैं। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त कार्य में लगे लागत की बसुली मासिक किराया के साथ कर लेंगें। आवेदिका के द्वारा अपनी लागत से प्रश्नगत मकान में बिजली, पानी एवं शैाचालय का निर्माण कराया गया हैं। विपक्षी द्वारा आवेदिका को तंग तबाह करने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी –सह– गृह नियंत्रक सदर, दरभंगा के यहाँ वाद दायर किया गया जिसमें दिनांक– 15.03.2011 को अंतिम आदेश पारित किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी –सह– गृह नियंत्रक सदर, दरभंगा द्वारा आवेदिका के द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन पर विचार किये गये बिना ही आदेश पारित किया गया है। आवेदिका के द्वारा आर0सी0सी0–03 कमरा एवं 02 टीन शेड का उपयोग किया जा रहा है, जिसका मासिक किराया 04रू प्रतिवर्गफीट की दर से 2632/रूपये निर्धारित किया है। विपक्षी द्वारा मकान का कभी भी